प्रदेश में एक्सोटकि मांगूर एवं बगि हेड मछलयिों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतबिंध

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ शासन, मछलीपालन वभिाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटकि मांगूर (क्लेरयिस गेरीपनिस) एवं बगि हेड (हाइपोप्थेलमकिथीस नोबीलीस) मछलयिों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को प्रतषिद्धि घोषति कयिा गया है।

प्रमुख बदिु

- राज्य शासन के द्वारा जारी अधसिूचना के अनुसार इन मछलयिों का परविहन, आयात एवं वपिणन भी प्रतबिंधति कयिा गया है।
- इन प्रतषिद्धि मछलयिों का कोई भी मछुआ, वैयक्तकि, समूह या समति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तकि जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा।
- संचालक मछली पालन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतबिंध का उल्लंघन कयिे जाने की स्थति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संसोधन) अधनियिम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हज़ार रुपए अथवा दोनों से दंडति कयिा जा सकेगा।
- इन प्रतबिंधति मछलयिों से संबंधति कसिी भी गतविधि में लप्ति पाए जाने पर दोष सद्धि उपरांत संबंधति को मत्स्य वभिाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतबिंधति भी कयिा जाएगा।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-fish-egg-production,-promotion-and-rearing-of-exotic-mangoor-big-head-fishes-in-the-state